



कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्रांक- 1969/ 12-1 दिनांक, बड़कोट, ^{फरवरी} जनवरी, 05 2019।

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बड़कोट।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग- 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून के पत्रांक- 08बी/यू0सी0पी0/06/01/2017/एफ0सी0/1699 दिनांक- 16.01.2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- 2563/एफ0पी0/यू0के0/रोड़/20210/2016 दिनांक- 25.01.2018।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून के पत्रांक- 08बी/यू0सी0पी0/06/01/2017/एफ0सी0/1699 दिनांक- 16.01.2018 से विषयगत सम्पर्क मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या-1 तथा 2 के अनुसार आपके द्वारा धनरशि जमा की जानी है। जिसका मांग पत्र इस कार्यालय के पत्रांक-222/12-1, दिनांक 05.02.2018 से आपको प्रेषित किया गया था। उक्त मांग पत्र को पुनः संशोधित कर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-क-972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 से वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित दर के अनुसार तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(प्रदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग- 123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.28 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यार्पितन प्रस्ताव हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

क्र० सं०	मोटर मार्ग का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० मे)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे० मे)	दर प्रति हे० (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-क 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राष्ट्रीय राज मार्ग-123 से पौलगांव तक सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण	0.28	5	0.3	1- काटे जाने वाले 19 वृक्षों के एवज में, दस गुना 190 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 2- एन०पी०वी० की धनराशि	-	1100.00 रु० प्रति वृक्ष	2,09,000.00
योग					तीन लाख बयानवे हजार नौ सौ साठ रु०	0.28	657000.00 प्रति हे०	1,83,960.00 3,92,960.00

(प्रदीप कुमार)
प्रभाषीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।